कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

—: संयुक्त आदेश :—

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 437/सी., दिनांक 06.06.2015 एवं तद्नुसार पुलिस उप महानिरीक्षक,पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ के ज्ञापांक 537/गो., दिनांक 18.06.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा भू–विवाद के स्थाई समाधान हेतु अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर से संयुक्त प्रयास करने हेतु निदेश प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के **'जनता दरबार' में भू–विवाद की अधिक समस्या** लेकर ग्रामीण उपस्थित होते हैं।

भू–विवाद की समस्या का त्वरित समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों में असंतोष उत्पन्न होती है, फलतः विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। कभी–कभी ये समस्याएँ काफी जटील हो जाती है, जिस कारण गंभीर दंगे/आगजनी एवं हत्या व आपसी स्थाई विवाद का कारण बनकर बड़े अपराधिक घटना को अंजाम भी दे दिये जाते है। भू–विवाद की समस्या का स्थाई समाधान कराना प्रशासन का मुख्य दायित्व है। इसके समाधान के लिए अंचल स्तर पर राजस्व अभिलेखों का सही ढ़ंग से संधारण किया जाना आवश्यक है। भू–विवाद से संबंध्ति मामलों का निष्पादन स्थल जाँच के साथ दोनों/सभी पक्षों को सुनकर ही किया जाय तथा भू–विवाद की समस्या लेकर कोई व्यक्ति थाना पहुँचते हैं, तो पूरी बात सुनकर एव प्रमाणिक कागजात को देख/जाँच कर त्वरित कार्रवाई की जाय तथा यदि आवश्यक समझा जाय तो संबंधित राजस्व कर्मचारी तथा अंचल अधिकारी से सहयोग लेकर इसका स्थाई समाधान निकाला जाय ताकि किसी भी प्रकार की विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो एवं लोगों का पूर्ण/स्थाई विश्वास प्रशासन पर बना रहे। सभी अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से भू–विवाद से संबंधित **प्रतिवेदन प्रत्येक पक्ष में संलग्न विहित प्रपत्र** में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी पक्ष में भू–विवाद से संबंधित कोई मामला प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन शून्य ही उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :

1. प्रत्येक **मंगलवार** को संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से अंचल /थाना कार्यालय में जनता की समस्या की सुनवाई हेतु पूर्वाह्न 11.00 बजे शिविर का आयोजन करेंगे।
2. **मंगलवार को अवकाश रहने की स्थिति में दूसरे दिन पूर्व निर्धारित समय पर शिविर का आयोजन निश्चित रूप से की जाय।**
3. इस शिविर में संबंधित राजस्व कर्मचारी/राजस्व अधिकारी एवं अंचल अमीन निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे।
4. इस शिविर में न्यायालय से बाहर भू–विवाद के मामलें को आपसी समझौता/कॉसिलिंग के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाय।
5. साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही पंजी में दर्ज की जाय।

बैठक की कार्यवाही एवं बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी संबंधित अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।

7 अंचल स्तर से यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो तत्क्षण इसकी जानकारी संबंधित अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

8. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से इसकी जॉच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सम्पूर्ण जानकारी संबंधित अंचल/थाना एवं अधोहस्ताक्षरी को भी देना सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी स्तर पर इसकी जानकारी हो जाय एवं स्थिति को देखते हुए निरोधात्मक एवं सत्तर्कतामूलक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

9. अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वैसे मामले जो वर्षो से लम्बित/विचाराधीन हैं उसे प्रकाश में लाये ताकि जिला स्तर पर इसके निष्पादन हेतु संबंधित कॉसिलिंग के आधार पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके।

10. वरीय उप समाहर्त्ता, विधि प्रशाखा प्राप्त सूचना को एकत्रित कर लम्बित/विचाराधीन मामलो पर त्वरित कार्रवाई कराने हेतु संचिका उपस्थापित कर आवश्यक मार्गदर्शन के पश्चात् कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

11. अनुमंडल पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वैसे असामाजिक तत्वों जो भू–विवाद के मामले में संलग्न है और तरह–तरह की समस्या उत्पन्न करते हों तो उनके विरूद्ध सुसंगत धारा 107 एवं 109 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करायें ताकि भू–विवाद की समस्या का रोकथाम किया जा सके। यदि आवश्यकता महसूस हो तो सी.सी.ए. के अन्तर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. असामाजिक तत्वों द्वारा भू–विवाद के मामलों को लेकर प्रमुख स्थानों पर रोड जाम कर दिया जाता है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जाती है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा इससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है। यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अनुमंडल पदाधिकारी इसमें संलग्न असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि ऐसे मामलों की रोकथाम की जा सके। **इसमें विलम्ब न हो इस बात का भी खासा ध्यान रखा जायेगा।**

13. प्रायः देखा जाता है कि अमुख स्थानों पर भू–विवाद की घटना घटित हो जाने पर संबंधित अंचल/थाना से इसकी सूचना प्राप्त न होकर अन्य श्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इसकी जानकारी राज्य स्तर से दी जाती है, यह अच्छी बात नहीं है। सभी अंचल /थाना को निदेश दिया जाता है कि ऐसे मामलों की सूचना तत्क्षण दी जाय। यदि इसकी सूचना तत्क्षण नहीं दी जाती हो तो समझा जायेगा कि उनमें प्रशासनिक संवेदनशीलता का अभाव है और उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

4. संबंधित सयुक्त प्रतिवेदन नोडल ऑफिसर को साथ–साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल ऑफिसर प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

उक्त निमित्त नोडल पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभार में **श्री बिरेन्द्र कुमार मिश्र, अपर समाहर्त्ता, किशनगंज,** (9473191372) एवं **श्री गो० कासिम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज**(9431800043) रहेंगे।

2/7/15

(राजीव रंजन, भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक,
किशनगंज

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1178 /सी., किशनगंज, दिनांक 03.07.2015

प्रतिलिपि :: सभी संबधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी पुलिस निरीक्षक/सभी थानाध्यक्ष, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अपर समाहर्त्ता- सह–नोडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, किशनगंज को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: प्रखंडों के सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समहर्त्ता/निदेशक, डी.आर.डी.ए. सिविल सर्जन/अनुमंडल दंडाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला राजस्व/जिला आपदा प्रबंधन/जिला विधि प्रशाखा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया अपने स्तर से सभी प्रमुख/ग्राम पंचायत के मुखिया को एतद् विषयक सूचना देते हुए वृहद् प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

2/7/15

(राजीव रंजन, भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक,
किशनगंज

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1178 /सी., किशनगंज, दिनांक 03.07.2015

प्रतिलिपि :: पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

2/7/15

(राजीव रंजन, भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक,
किशनगंज

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता
किशनगंज।

पुलिस उप–महानिरीक्षक का कार्यालय, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया।

Phone/fax 06 154-243156(o), 243126 (R) E-mail- digpurnia-bih@nic.in

ज्ञापांक 537 /गो0 पूर्णिया। दिनांक 18.6.15

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

प्रसंग:– आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के कार्यालय पत्रांक 437 / सी0 दिनांक 06.06.15

विषयः– भू–विवाद की स्थाई समाधान हेतु थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के स्तर से संयुक्त प्रयास के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया के प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ दें जो आप सभी को संबोधित है। आपके सुलभ प्रसंग हेतु इसकी एक छाया प्रति संलग्न है।

निदेश है कि प्रसंगाधीन पत्र में भू विवाद के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करायें और कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह थानों से प्राप्त कर आयुक्त कार्यालय को समर्पित करते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें।

अनुलग्नक: यथोपरि।

पुलिस उप–महानिरीक्षक,
पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया।

आयुक्त कार्यालय,पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

(प्रमंडलीय गोपनीय प्रशाखा)

पत्रांक 9–21/2015–... 437......./सी0

प्रेषक:

सुधीर कुमार,भा0प्र0से0
प्रमण्डलीय आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ

सेवा में,

जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक,
पूर्णियाँ/कटिहार/अररिया एवं किशनगंज ।

पूर्णियाँ,दिनांक:– 06/06/2015

विषय: भू–विवाद की स्थाई समाधान हेतु थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के स्तर से संयुक्त प्रयास के संबंध में ।

महाशय,

उपयुर्क्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उनके जनता दरबार में भू–विवाद की अधिक समस्या लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है । आप अवगत हैं कि भू–विवाद की समस्या का त्वरित समाधान नहीं होने से असंतोष की भावना बढ़ती है और इसी कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है । कभी–कभी तो इसकी समस्या इतनी जटिल हो जाती है जिस कारण गम्भीर दंगे/आगजनी एवं हत्या जैसी बड़ी अपराध का धटना अंजाम भी दे दिया जाता है । भू–विवादों की समस्या का स्थायी समाधान प्रशासन के लिए एक चुनौती है । इसके समाधान के लिए इसकी आवश्यकता महसुस की जा रही है कि अंचल स्तर पर राजस्व अभिलेखों का संधारण ठीक ढंग से किया जाय । किसी महत्वपूर्ण मामलों का निष्पादन स्थानीय जॉच के पश्चात् तथा दोनों पक्षों को सुनकर ही किया जाए। इसी तरह यदि भू–विवाद की समस्या लेकर कोई व्यक्ति थाना पहूँचते हैं तो उनकी पूरी बात सुनकर कागजातों को देखकर त्वरित कार्रवाई तुरंत की जाए तथा यदि आवश्यक समझा जाए तो संबंधित राजस्व कर्मचारी तथा अंचलाधिकारी से सहयोग लेकर इसका स्थायी समाधान निकाला जाय ताकि किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो और प्रशासन पर लोगों का भरोसा स्थापित हो सके । त्वरित कार्रवाई से एक ओर जहॉ प्रशासन की छवि बनी रहेगी तो दूसरी ओर जनता को राहत मिलने के साथ विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होगी । इस संबंध में पूर्व में भी निदेशित किया गया था किन्तु आपके स्तर से कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है । भू–विवाद से संबंधित प्रतिवेदन भी विहित प्रपत्र में पाक्षिक रूप से भेजी जाय तत्संबंधी प्रपत्र संलग्न की जा रही है ।

उपयुर्क्त परिप्रक्ष्य में दिनांक–16–5–15 को प्रमण्डलीय विधि–व्यवस्था की बैठक में भली भॉति विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:–

1–प्रत्येक मंगलवार को थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से थाना अथवा अंचल कार्यालय में जनता की समस्या की सुनवाई हेतु 11–00 बजे पूर्वाहन् शिविर का आयोजन करें ।

2– इस शिविर में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन निश्चित् रूप से रहें ।

3– इस शिविर में न्यायालय से बाहर भू–विवाद के मामले को आपसी समझौता एवं कॉसिलिंग के आधार पर करने का प्रयास किया जाए ।

4– साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही पंजी में दर्ज की जाए ।

5- बैठक की कार्यवाही एव इस बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी अंचलाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डलीय पुलिस पदाधिकारी एवं जिला को देंगे ।

6– बुधवार को अवकाश रहने की स्थिति में दूसरे दिन पूर्व निर्धारित समय पर बैठक का आयोजन निश्चित् रूप से की जाए ।

7– अंचल स्तर से यदि कोई समस्या का समाधान नहीं [illegible] तो तत्काल इसकी जानकारी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को दें

8- अनुमण्डल पदाधिकारी एव अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से इसकी समीक्षा 15 दिनो में कर प्रावधान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित् करते हुए इसकी सूचना संबंधित

अंचल/थाना तथा जिला को भी देंगे ताकि सभी स्तर पर इसकी जानकारी हो जाय की स्थिति मे निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित् की जाए ।

9— अनुमण्डल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वैसे मामले जो वर्षों से विचाराधीन है उसे प्रकाश में लायें ताकि जिला स्तर पर इसके निष्पादन हेतु संबंधित कॉसिल एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके ।

10— वरीय उप समाहर्त्ता, विधि प्रशाखा प्राप्त सूचना को एकत्रित कर लम्बित मामले के त्वरित कार्रवाई कराने हेतु संचिका उपस्थापित कर आवश्यक मार्ग—दर्शन के पश्चात् कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे ।

11— अनुमण्डल पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वैसे असमाजिक तत्व जो भू—विवाद के मामले में संलग्न हैं और तरह तरह की समस्या उत्पन्न करते हों तो उनके विरूद्ध सुसंगत धारा—107 एवं 109 सी.आर.पी.सी के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित् करायें ताकि भू—विवाद की समस्या की रोक—थाम किया जा सके । यदि आवश्यकता महसुस की जाती है तो सी.सी.ए. के अन्तर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित् की जाए ।

12— आये दिन ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रमुख स्थानों पर रोड जाम कर दिया गया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा इससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है । यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है । अनुमण्डल पदाधिकारी इसमें संलग्न असमाजिक तत्व के विरूद्ध उन्हें चिन्हित कर प्रावधान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित् करें ताकि इसकी रोक—थाम किया जा सके । इसमें विलम्ब न हो इस बात का खास ध्यान रखें। तत्क्षण कार्रवाई नहीं होने के कारण ही यह प्रकृति विकसित हो रही है जो अच्छी बात नहीं है ।

13— प्रायः ऐसा भी देखा जा रहा है कि अमुख स्थान पर भू—विवाद की धटना धटित हो जाने पर संबंधित अंचल/थाना से इसकी सूचना प्राप्त न होकर अन्य श्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है । कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि इसकी जानकारी राज्य स्तर से दी जाती है । यह प्रवृति अच्छी नहीं है । यदि संबंधित अंचल/थाना द्वारा इसकी सूचना तत्क्षण नहीं दी जाती है तो समझा जायगा कि उनमें प्रशासनिक संवेदनशीलता का अभाव है और उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित् की जाए ताकि इसकी पुनरावृति भविष्य में न हो ।

14— विधि—व्यवस्था के गम्भीर मामले में अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर संयुक्त प्रतिवेदन आवश्यक है ताकि प्रशासनिक एवं पुलिस स्तर से की गई कार्रवाई की जानकारी तत्क्षण हो सके तथा उच्चाधिकारी का मार्ग—दर्शन आगे की कार्रवाई के लिए दिया जा सके ।

उपयुर्क्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संयुक्त आदेश के माध्यम से थाना/अंचल एवं अनुमण्डल स्तर पर इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित् हो सके । यह भी अनुरोध होगा कि अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर अपने भ्रमण के कम में इसकी सतत् निगरानी रखी जाए ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए ।

अन0
यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
5.6.2015
प्रमण्डलीय आयुक्त
पूर्णियॉ प्रमण्डल,पूर्णियॉ।

जिला भू–विवाद संबंधी प्रतिवेदन

जिला का नाम:– माह–

क्रम सं0	जिला का नाम	अचल का नाम	घटना की तिथि एवं कांड संख्या	मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	विवाद का संक्षिप्त कारण	समाधान हेतु की गई कार्रवाई	अद्यतन स्थिति	अभ्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1